रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2013/श्रावण 8, 1935
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2013/SRAVANA 8, 1935

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2013

फा. सं. ए. 21011/01/2010-एडमन. एफएसएसएआई.— भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2012 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4 तारीख 27 फरवरी, 2012 मे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा.सं. 11–11/प्रशा./2009–एफएसएसएआई तारीख 15 फरवरी, 2012 मे प्रकाशित किया गया था जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां जिसमे उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे ;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 28 फरवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं ;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जनता से उक्त प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध मे प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 92 की उप–धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** –

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013** हैं।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.– इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34वां)अभिप्रेत है;

(ख) **"केंद्रीय सरकार"** से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) **"खाद्य प्राधिकरण"** से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) **"अध्यक्ष" से** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) **"मुखय कार्यपालक अधिकारी"** से भारतीया खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) **"कर्मचारी"** से नियमित आधार पर नियुक्त किए गए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत जो प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त किए गए भी हैं ;

(छ) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) 10,000/– रुपए या इससे अधिक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' के समतुल्य सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का अध्यक्ष, परंतु इसके अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है;

(ii) 10,000/– रुपए से न्यून ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' के समतुल्य सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(iii) समूह 'ख' के समतुल्य सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी ; और

(iv) अपने–अपने अधिकारिता के अधीन समूह 'ग' के समतुल्य सभी स्वीकृत पदों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्यालय या प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों या प्रयोगशालाओं में स्थापन का प्रभारी निदेशक ;

(ज) **"अनुशासनिक प्राधिकारी"** से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) 10,000/– रुपए या इससे अधिक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' के पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का अध्यक्ष, परंतु जिसके अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल नहीं है;

(ii) 10,000/– रुपए से कम के ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' के समतुल्य सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(iii) समूह 'ख' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी; और

(iv) अपने–अपने अधिकारिता के अधीन समूह 'ग' के सभी स्वीकृत पदों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं में स्थापन का प्रभारी निदेशक ;

(झ) **"सीधी नियुक्ति"** से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में अल्पकालिक संविदा या संविदात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा की गई नियुक्ति से भिन्न प्राधिकरण द्वारा की गई कोई नियुक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) **"अल्पकालिक संविदा"** से एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राधिकरण में, गैर–सरकारी संगठनों अर्थात् विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित अधिकारियों की भर्ती की पद्धति अभिप्रेत है;

(ट) **"संविदात्मक आधार पर नियुक्ति"** से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के उपबंधों के अनुसरण मे संविदात्मक आधार पर एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कोई नियुक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) **"कृत्य"** से प्राधिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित सभी कृत्य अभिप्रेत और सम्मिलित हैं;

(ड) **"सेवा"** से प्राधिकरण के अंतर्गत की गई सेवा अभिप्रेत है;

(ढ) ऐसे शब्द और पद के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ हांगे जो उक्त अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

3. सेवा की शर्तें.–

वेतन, भत्तों, वेतन के निर्धारण, वेतन वृद्धि, कार्यग्रहण समय, कार्यग्रहण समय के वेतन, अधिवर्षिता की उपान्तरित आय, सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन स्कीम, चिकित्सा सुविधाओं, छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, आचरण, अनुशासनिक मामलों और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में प्राधिकरण के पात्र कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ऐसे अन्य नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी, जो समय–समय पर यथास्थिति समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के के पदों, से संबंधित केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर और तत्स्थानीय वेतनमानों के दौरान लागू होते हैं।

परंतु प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त मंत्रालय के तारीख 8 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.सं. 1(16)/ई.II (ए)/2008 के निबन्धनो के अनुसार निवास स्थान को किराये पर लेने का हकदार होगा।

4. समूह बीमा, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ.–

(1) प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों से भिन्न प्राधिकरण के कर्मचारी केंद्र सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा के हकदार होंगे।

(2) अधिनियम की धारा 90 के अधीन प्राधिकरण में स्थानांतरित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और जो कर्मचारी प्राधिकरण में आमेलित हो जाते हैं, के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ वही होंगे, जैसाकि वह ऐसे कार्यालय मे प्राप्त करता/प्राप्त करती यदि वह उस पद पर रहता/रहती, यदि प्राधिकरण स्थापित न हुआ होता और वे प्राधिकरण के कर्मचारी के रूप में भी इसी प्रकार बने रहेंगे।

(3) प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, केंद्रीय सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली स्कीम द्वारा शासित होंगे।

5. प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारीवृन्द.–

(1) प्राधिकरण में अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों का अन्यत्र सेवा का वेतन, निबन्धन और शर्ते, समय–समय पर यथाविहित केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित निबन्धनो और शर्तों के अनुसार होंगी।

(2) प्रतिनियुक्ति का विनिश्चय प्राधिकरण और उधारदाता संगठन के बीच परस्पर रूप से विनिश्चय होगा। और सेवा के निबन्ध जैसे छुट्टी वेतन अभिदान, उपादान, पेंशन अभिदान, अंशदायी भविष्यनिधि किसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति को उसे या उसके मूल संगठन मे

यथा अनुज्ञेय मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन से प्रदान की जाएगी।

(3) जो भत्ते या फायदे प्राधिकरण में तत्स्थानी प्रास्थिति वाले नियमित कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं हैं, ऐसे भत्ते या फायदे, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होंगे, चाहे वे लाभ अपने मूल संगठन में अनुज्ञेय थे।

(4) प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी उस संबंधित भविष्य निधि में अंशदान के पात्र होंगे, जिसमें वे अपने मूल संगठन में अंशदान कर रहे थे।

(5) जहां प्रतिनियुक्त व्यक्ति किसी अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य रहा है, प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में यथा लागू नियोक्ता अंशदान की लागत वहन करेगा।

(6) जब प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति की सेवाएं आगे अपेक्षित नहीं है, तो उसे सेवाएं उधार देने वाले मंत्रालय या विभाग या संगठन को पूर्व सूचना देने के पश्चात् और संबद्ध कर्मचारी को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रतिनियुक्ति की मंजूर अवधि पूरी होने से पहले ही उसे उसके मूल विभाग को प्रत्यावासित कर दिया जाएगा।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

6. प्रशिक्षण.–

(1) प्राधिकरण के कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण पर जाना अपेक्षित होगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(2) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कदाचार के लिए आरोपित प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुलाया जा सकता है और वे ऐसी उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही के दायी होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तथा ऐसे मामलों में दी जाने वाली शास्ति के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की रकम की वसूली भी होगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.–

प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लोकहित में और ऐसे कारणे से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

8. व्यावृत्ति खंड.–

इन नियमों को कोई बात, आरक्षणों, आयु सीमा को शिथिल और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

3333 GI/13-2

9. निर्वचन.–

यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो इसे परीक्षा के लिए केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

के. चन्द्रमौली, अध्यक्ष/भारसाधक मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187-O/13]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2013

F. No. A-21021/01/2010-Admn. FSSAI.— Whereas the draft of the Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2012 were published, as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India, number F.11-11/Admn./2009-FSSAI, dated the 15th February, 2012, in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 27th February, 2012, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 28th February, 2012;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been duly considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (3) of section 9 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.** - (1) These Regulations may be called the **Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Officers and Employees)Regulations, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(b) "Central Government" means the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;

(c) "Food Authority" meansthe Food Safety and Standards Authority of India established under sub-section (1) of section 4 of the said Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Food Safety and Standards Authority of India;

(e) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India;

(f) "employees" means officers and employees of the Authority appointed on regular basis and includes those appointed on deputation or short term contract;

(g) "appointing authority" means, –

(i) the Chairperson of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'A' carrying the grade pay of Rs. 10,000 and above but does not include the Chief Executive Officer;

(ii) the Chief Executive Officer of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'A' carrying the grade pay of less than Rs. 10,000;

(iii) the Chief Management Services Officer of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'B'; and

(iv) the Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Authority in respect of all sanctioned posts equivalent to Group- 'C' under their respective jurisdiction;

(h) "disciplinary authority" means, -

(i) the Chairperson of the Authority in respect of all posts equivalent to Group "A" posts carrying the grade pay of Rs 10,000 or above but does not include the Chief Executive Officer;

(ii) the Chief Executive Officer of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'A' carrying the grade pay of less than Rs 10,000;

(iii) the Chief Management Services Officer of the Authority in respect of all postsequivalent to Group 'B'; and

(iv) the Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters and Regional Offices and Laboratories, in respect of all sanctioned posts equivalent to Group 'C' under their respective jurisdiction;

(i) "direct appointment" means any appointment made by the Authority otherwise than by appointment by transfer on deputation including short term contract or on contractual basis in accordance with the provisions of the regulations notified by the Authority;

(j) "short term contract" means the method of recruitment of officers belonging to non-government organisations, such as Universities, recognised research institutions, Public Sector Undertakings to the Authority for a specified period;

(k) "appointment on contractual basis" means an appointment made by the appointing authority for a specified period on contractual basis in accordance with the provisions of regulations notified by the Authority;

(l) "function" means and includes all work related to activities of the Authority;

(m) "service" means the service under the Authority;

(n) words and expressions used in these regulations but not defined, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the said Act.

CHAPTER II

3. Conditions of Service. -The conditions of service of the eligible employees of the Authority in the matters of pay, allowances, fixation of pay, increment, joining time, joining time pay, age of superannuation, modified assured career progression scheme, medical facilities, leave, leave travel concession, conduct, disciplinary matters and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such other rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts, as the case may be, in the corresponding pay scale:

Provided that the Chief Executive Officer of the Authority shall be entitled for hiring of residential accommodation in terms of the Ministry of Finance O.M. No. F. No. 1 (16)/E. II (A)/2008, dated 8th May, 2009, as amended from time to time.

4. Group Insurance, pension and retirement benefits.-(1)The employees of the Authority other than those on deputation or short term contract shall be entitled to Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Authority in consultation with the Central Government.

(2) The pension and retirement benefits to the employees of the Central Government transferred to the Authority under section 90 of the Act, and who get absorbed in the Authority shall be the same as he or she would had, had he or she held such office, if the Authority had not been established and shall continue to do so as an employee of the Authority.

(3) The pension and retirement benefits of other employees of the Authority shall be governed by the scheme to be formulated by the Authority in consultation with the Central Government.

5. Staff on deputation. - (1) The pay, terms and conditions of Foreign Service of the officers or employees on deputation including short-term contract to the Authority shall be as per the terms and conditions as prescribed by the Central Government, from time to time.

(2) Deputation shall be decided mutually between the Authority and lending organisation and the terms of service, such as leave salary contribution, gratuity, pension contribution and contributory provident fund, may, with the approval of the Chief Executive Officer be allowed as admissible to a deputationist in his or her parent organisation.

(3) Such allowances or benefits as are not admissible to the regular employees of corresponding status in the Authority, shall not be admissible to the employees on deputation, even if they were admissible in the parent organisation.

(4) Employees joining on deputation shall be eligible for contribution to the respective provident fund to which they are subscribing in their parent organisation.

(5) Where a deputationist has been a member of a contributory provident fund, the Authority shall bear the cost of the employer's contribution as applicable in each case.

(6) When the Authority determines that the services of the deputationist are no longer required, he or she shall be repatriated to his or her parent department even before completion of his or her sanctioned period of deputation, after prior intimation to the lending Ministry or Department or organisation and giving reasonable opportunity to the employee concerned.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS

6. Training.-(1) Employees of the Authority may be required to undergo such training as may be specified by the Authority;

(2) The employees of the Authority, charged for misconduct during the period of training may be withdrawn from training, and shall be liable for appropriate disciplinary proceedings, as the appointing authority deems fit and penalty in such cases may include recovery of the amount spent on the training by the Authority.

7. Power to relax. -The Authority may in public interest and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations with prior approval of the Central Government.

8. Saving clause. -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Interpretation. -If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and the decision of the Central Government shall be binding.

K. CHANDRAMOULI, Chairperson and In-charge CEO

[ADVT. III/4/Exty./187-O/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.